UPPG010046052026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP–6467
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1862/2026

1. संदीप उम्र लगभग 32 वर्ष सुत रामदेव,
2. राम आसरे उम्र लगभग 60 वर्ष सुत बिन्देसरी,

निवासीगण भरतगढ़, थाना संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....विपक्षी

सत्र परीक्षण संख्या–924/2016
मु0 अ 0 सं0 : 37/2012
धारा–307, 323 भा0 दं0 सं0
थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़

दिनांकः–04.07.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **संदीप व राम आसरे** द्वारा मु०अ०सं०–37/2012, धारा–307, 323 भा0 दं0 सं0 थाना–संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कहा कि प्रार्थीगण पूर्व में जमानत पर मुक्त थे। प्रार्थीगण तारीख पेशी पर न्यायालय आते थे। वादी मुकदमा द्वारा समझौते के बहकावे में आकर प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया। प्रार्थीगण दिनांक–24.06.2026 से जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरूद्ध है। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई गलती नही किया है। अतः जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।
2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण को पूर्व में जमानत पर होना बताया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 21.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.04 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर विचार किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **संदीप व राम आसरे** का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–37/2012, धारा–307, 323 भा0 दं0 सं0 थाना–संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, कि–

1. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेगा न तो धमकायेगा ।
5. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या-4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL- 07/Admin 'G-II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e-Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक : 04.07.2026

अभयराज/- स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–2, प्रतापगढ़।
J.O. Code–UP 6467